E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 5(1): 198-207
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 22-04-2023
Accepted: 23-05-2023

चन्द्रा सत्या प्रकाश
राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
चन्द्रा सत्या प्रकाश
राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र से होने वाले पलायन को रोकने में जीविका दीदी का योगदान : सम्भावनाएँ और चुनौतियाँ

चन्द्रा सत्या प्रकाश

DOI: https://doi.org/

सारांश

कोसी और सीमांचल क्षेत्र में दस से अधिक जिला शामिल है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र के कई जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र नेपाल की तराई में अवस्थित है। कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है। इन नदियों में आने वाले बाढ़ के कारण इस क्षेत्र में साल का लगभग छह महीने तक किसी तरह का कृषि कार्य नहीं हो पाता है। इस तरह से बाढ़ का दोहरा प्रभाव पड़ता है। एक तरफ कृषि कार्य में रुकावट के कारण कृषक मज़दूरों और किसानों को आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ कृषि कार्य में पहले से मौजूद प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इस दोहरे प्रभाव के कारण कोसी और सीमांचल क्षेत्र से लोगों का पलायन बढ़ गया है। बिहार सरकार ने लोगों के पलायन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाएँ चलायी है। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वालंबन बनाने के लिए, रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एवं उनके आय को बढ़ाने के लिए जीविका योजना का क्रियान्वयन किया है। जीविका योजना के माध्यम से बिहार की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाया गया है। जीविका दीदी के नाम से प्रसिद्ध आर्थिक स्वालम्बी महिलाओं नेकोसी और सीमांचल क्षेत्र से पलायन की रफ़्तार को कम किया है। इस शोध लेखन में कोसी और सीमांचल क्षेत्र से पलायन की समस्या का विश्लेषण किया जाएगा।

'जीविका' के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति बिहार ग्रामीण विकास विभाग के तत्वधान में निबंधित संस्था है। बिहार में वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस योजना को प्रारम्भ किया था। वर्तमान में यह योजना बिहार के सभी 38 जिलों में चल रहा है। बिहार में वर्ष 2022 तक जीविका दीदियों की संख्या करीब सवा करोड़ अधिक है।

स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों ने बिहार सहित पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई आर्थिक और सामाजिक क्रांति की है। जब किसी परिवार से कोई महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ती है तो उस पूरे परिवार की आर्थिक उन्नति शुरू हो जाती है। इसी तरह एक स्वयं सहायता समूह के कारण पूरे गाँव में आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ हो जाती है। इस क्रियाकलाप के कारण बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिला है।

यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। इस योजना का मुख्य उदेश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वालंबन बनाना है। बिहार के ग्रामीण विकास के सुदृढ़ीकरण में यह बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति नामक संस्था मुख्य भूमिका निभा रही है। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने, रोजगार उपलब्ध करवाने, आय को बढ़ाने, महिलाओं को स्वालंबन बनाने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संस्था के तहत 10-12 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। फिर इस समूह को रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए उनके द्वारा की गई बचत और राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान के आधार पर ऋण दिया जाता है। राज्य सरकार इस संस्था के सदस्यों को दी जाने वाली ऋण का गारंटी लेता है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद से राज्य सरकार ने इनके आर्थिक गतिविधि का दायरा बढ़ा दिया है। दीदी की रसोई, विद्या दीदी, कृषक दीदी, पशुपालक दीदी इत्यादि के रूप में जीविका दीदी ने बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ किया है। इस शोध लेखन में कोसी और सीमांचल क्षेत्र से होने वाले पलायन को रोकने में जीविका दीदी के योगदान को रेखांकित किया जाएगा।

कूटशब्द: बाढ़, कृषि क्षेत्र, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जीविका दीदी, आर्थिक स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना

बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में लगभग दस जिला शामिल है। इनमें से कई जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। भौगोलिक रूप से कोसी और सीमांचल क्षेत्र मुख्यत: नेपाल की तराई में अवस्थित है। नेपाल से निकलने वाली नदियाँ- कोसी, बागमती, कमला, बलान, महानंदा इत्यादि कोसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, रोजगार, पलायन, गरीबी, जीवन यापन, आवास, क्षेत्रीय अवसंरचना, संचार, परिवहन इत्यादि को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। इन प्रमुख नदियों में से कोसी नदी का प्रभाव इन क्षेत्रों में गहरा है। कोसी नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ ने कोसी और सीमांचल क्षेत्र से पलायन को बढ़ाया है। कोसी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। नेपाल के हिमालय क्षेत्र से कोसी नदी बहुत बड़ी मात्रा में गाद (सिल्ट) को लाती है और इस गाद को बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में स्वयं और अपनी सहायक नदियों के द्वारा बिछा देती है (त्रिपाठी 2015, पृष्ठ संख्या-43)। इसके कारण कोसी और इसकी सहायक नदियों के माध्यम से इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है।

कोसी और उसकी सहायक नदियों में आने वाला बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि आर्थिक और सामाजिक आपदा भी है। इन क्षेत्रों के पिछड़ापन में कोसी और उसकी सहायक नदियों में आने वाले बाढ़ का बहुत योगदान है। इस क्षेत्रों के पिछड़ापन का नतीजा है कि लोग रोजगार, बेहतर जीवन यापन की तलाश में, ग़रीबी के कुचक्र से बाहर निकलने की उम्मीद में, अच्छी शिक्षा की तलाश में, अच्छी चिकित्सा इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष पलायन करते है (सिंह, नीरज के॰ और सिंह, बी॰ पी॰ 2013, पृष्ठ संख्या- 1-6)। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आँकड़ों, नीति आयोग की रिपोर्ट, केंद्र सरकार के विभिन्न सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट इत्यादि से स्पष्ट होता है की कोसी और सीमांचल क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है। इस शोध लेखन में बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना का

विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही साथ इस शोध लेखन में कोसी और सीमांचल क्षेत्र से होने वाले पलायन के प्रमुख कारणों का मूल्याँकन किया जाएगा।

वैश्वीकरण के दौर में बिहार और खास कर कोसी एवं सीमांचल क्षेत्र से लोगों का विभिन्न कारणों से पलायन बढ़ा है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार के उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है की कोसी और सीमांचल क्षेत्र से व्यापक पैमाने पर पलायन होता है। इन क्षेत्रों से होने वाले पलायन का पैटर्न है (स्टीवन और शर्मा 2018, पृष्ठ संख्या- 1-41)। इन क्षेत्रों से होने वाले लोगों के पलायन को पलायन के प्रमुख सैद्धांतिक कारण पुल (खिंचाव) और पुश (धक्का) कारक के संदर्भ में समझा जा सकता है। इन क्षेत्रों से होने वाले पलायन का प्रमुख कारण आर्थिक गतिविधि से संबंधित है। इसलिए आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देकर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध करवा कर, महिलाओं को आर्थिक गतिविधि से जोड़कर इत्यादि के माध्यम से पलायन को कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक गतिविधि के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है।

बिहार सरकार ने जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक गतिविधि से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण पहल किया है। महिलाओं की आर्थिक गतिविधि में भागीदारी के कारण कोसी और सीमांचल क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने में सकरात्मक प्रभाव पड़ा है। बिहार में वर्ष 2007 में श्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार आजीविका प्रोत्साहन समिति (BRLPS) का गठन किया था। यह संस्था ग्रामीण विकास विभाग में निबंधित है। बिहार आजीविक प्रोत्साहन समिति वर्तमान समय में 'जीविका' के नाम से प्रसिद्ध है। यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। इस संस्था ने अपने कामकाज के पंद्रह साल पूरा कर लिया है।

जीविका ने ग्रामीण बिहार की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन लाया है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से करोड़ों महिलाओं ने जीविका दीदी के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया है। "जीविका" बिहार के ग्रामीण इलाकों में उन महिलाओं के लिए बहुत मददगार है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है (बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन 2022, पृष्ठ संख्या-1)। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्य देने से कोसी और सीमांचल क्षेत्र से होने वाले पलायन में कुछ कमी आयी है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों ने वित्तीय सहायता से अपना रोजगार शुरू किया है। इसके अलावा जीविका दीदी को बिहार सरकार ने अन्य कार्य क्षेत्रों में भी रोज़गार दिया है।

जिसके कारण जीविका दीदी को प्रतिमाह 8-10 हजार रुपये का आय हो जाता है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्यों में भी रोज़गार मिल रहा है। स्वयं सहायता समूहों ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को कम कर के प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन के कारण पलायन में कमी देखी गयी है। इसकी वजह जीविका दीदी को मिलने वाली आय और रोज़गार है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद बिहार में जीविका दीदी को आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी दिया गया है। जीविका दीदी के ज़िम्मेवारी को निभाने में परिवार के पुरुष सदस्य भी सहयोग कर रहे है। जिसके कारण बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार और आय का विविधिकरण हुआ है।

कोसी और सीमांचल क्षेत्र से पलायन की समस्या

कोसी और सीमांचल क्षेत्र बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। कोसी और उसकी सहायक नदियाँ कोसी क्षेत्र से होकर बहती है। कोसी और उसकी सहायक नदियाँ- बागमती, कमला, बलान इत्यादि में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। इन नदियों में आने वाली बाढ़ बहुत विकराल होती है। इसी तरह महानंदा और उसकी सहायक नदियाँ सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ लाती है। इस बाढ़ का प्रभाव इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि और सामाजिक क्रियाकलाप पर पड़ा है। बिहार की कमजोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बाढ़ की विभीषका ने कोसी और सीमांचल क्षेत्र से लोगों के पलायन को बढ़ाया है (कुमार और भगत 2012, पृष्ठ संख्या-135)।

इस क्षेत्र से लोगों ने रोजगार की तलाश में, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, कृषि क्षेत्र में मौजूद प्रच्छन्न बेरोज़गारी से बचने के लिए, अच्छे जीवन यापन की तलाश में, ग़रीबी के चक्र से बाहर निकलने की उम्मीद में इत्यादि कारणों से पलायन किया है। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोज़गार अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कई उप क्षेत्र है जिनमें प्रमुख उप क्षेत्र पशुधन, मत्स्याखेत एवं जलकृषि, वानिकी, काष्ठ उत्पादन, फसाल इत्यादि शामिल है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र सर्वाधिक रोज़गार उपलब्ध करवाता है लेकिन बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका योगदान कम है (बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, पृष्ठ संख्या-64)। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कार्यरत है लेकिन इससे आर्थिक लाभ बहुत कम मिल पाता है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी को प्राथमिक क्षेत्र आय प्रदान नहीं कर सकता है। इसकी वजह से इस क्षेत्र से पलायन हो रहा है।

इसके अलावा राज्य सरकार की नीतियों की वजह से भी इस क्षेत्र से लोगों का पलायन बढ़ा है। बिहार सरकार ने बहुत लम्बे समय तक इस क्षेत्र के विकास लिए कोई सार्थक पहल नहीं किया था। कोसी और उसकी सहायक नदियों में आने वाली बाढ़ को प्राकृतिक आपदा मानकर इसके रोकथाम के लिए कोई पहल नहीं किया गया है। नेपाल के साथ किसी नदी के जल को रोकने के लिए किसी तरह का समझौता नहीं हो पाया है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने शिक्षा अवसंरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना, सड़क अवसंरचना इत्यादि के विकास के लिए बहुत कम कार्य हुआ। इस क्षेत्र में कुटीर और लघु उधोग की बहुत सम्भावना है। रेशम आधारित कुटीर उधोग, चूड़ी आधारित लघु उधोग, खाद्य प्रसंस्करण उधोग, डेयरी उधोग इत्यादि की इस क्षेत्र में बहुत सम्भावना है।

कुटीर और लघु उधोग लोगों को साल भर रोजगार देता है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उधोग की असीम सम्भावना है (उधोग विभाग 2022, पृष्ठ संख्या-2)। सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज में चाय बागान, अररिया में अनानास की खेती की जाती है। पूर्णिया और कटिहार जिले में जूट उधोग लोगों को रोजगार दे सकता है। कोसी क्षेत्र के सहरसा और सुपौल जिले में मत्स्य प्रसंस्करण उधोग की भरपूर सम्भावना है। खगड़िया और कटिहार जिले में मक्का आधारित खाद्य प्रसंस्करण उधोग की असीम सम्भावना है। लेकिन बिहार सरकार ने वर्ष 2005 तक इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। इस दौरान इस क्षेत्र से बहुत अधिक संख्या में लोगों का रोजगार की तलाश में अन्य विकसित राज्यों की ओर पलायन हुआ है।

नीति आयोग की बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक के अनुसार कोसी और सीमांचल क्षेत्र में चरम ग़रीबी है। इस क्षेत्र में ग़रीबी की भयावह स्थिति का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है की लोगों

की प्रतिदिन की आय न्यूनतम मज़दूरी से भी बहुत कम है। जिसके कारण इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी ग़रीबी रेखा से नीचे (बी॰पी॰एल॰) की है। नीति आयोग की बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की 51.91 प्रतिशत जनसंख्या ग़रीब है (नीति आयोग रिपोर्ट 2021, पृष्ठ संख्या-20)। बिहार की 51.88 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण से पीड़ित है। इस बहुआयामी सूचकांक में बिहार को 0.265 स्कोर प्राप्त है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का एम॰पी॰आई॰ स्कोर 0.286 है और ग्रामीण क्षेत्र का एम॰पी॰आई॰ स्कोर 0.117 है जो यह दिखाता है की ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ग़रीबी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 38 जिलों में से 22 जिलों में आधे से अधिक गरीबी है (बिहार बजट 2023-24, पृष्ठ संख्या- 4)।

टेबल **1:** नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला

बिहार का सबसे ग़रीब ज़िला	गरीब आबादी (प्रतिशत में)	क्षेत्र
किशनगंज	64.75	सीमांचल
अररिया	64.65	सीमांचल
मधेपुरा	64.35	कोसी
सुपौल	64.10	कोसी
पूर्णिया	63.29	सीमांचल
कटिहार	62.80	सीमांचल
सहरसा	60.30	कोसी

स्रोत : नीति आयोग, भारत सरकार

इस टेबल में दर्शाये गए आँकड़ों से प्रदर्शित होता है की बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में सबसे अधिक गरीबी है। इस क्षेत्र के 7 जिलों में सबसे अधिक गरीबी है। इस चरम गरीबी के कारण इस क्षेत्र से पलायन हो रहा है।

किसी आर्थिक गतिविधि के कार्यक्षेत्र में कार्यरत लोगों को उसके कार्य के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। न्यूनतम मज़दूरी के तहत मिलने वाले पारिश्रमिक कामगारों की दक्षता को संरक्षण देने के लिए दिया जाता है। भारत सरकार ने न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मज़दूरी के संबंध में क़ानूनी प्रावधान बनाए है। इस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान अनिवार्य है। निर्वाह मज़दूरी से तात्पर्य जीवन यापन के मौलिक गतिविधि से जुडी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दी जाने वाली मज़दूरी से है। यह मज़दूरी न्यूनतम मज़दूरी से ऊपर है जबकि न्यायोचित मज़दूरी से कम है। न्यायोचित मज़दूरी से तात्पर्य कामगारों को उधोगों तथा अन्य आर्थिक सेवा द्वारा अपनी भुगतान क्षमता के भीतर दी जाने वाली मज़दूरी से है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में कामगारों को मिलने वाली पारिश्रमिक अर्थव्यवस्था के पारिश्रमिक सिद्धांत के तीनों परिनियम से नीचे है। यानी कि इस क्षेत्र में चरम गरीबी है और उसका परिणाम पलायन है। बिहार में अधिकांश जिलों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना इसी प्रकार की है। इस क्षेत्र के परिवारों में सभी सदस्यों को रोजगार नहीं मिल पाता है। यदि परिवार के किसी सदस्य को रोजगार मिलता है तो उसकी पारिश्रमिक बहुत कम होती है जबकि अन्य आश्रितों की संख्या अधिक है। इस क्षेत्र से होने वाले पलायन में इस कारण का भी बहुत योगदान है।

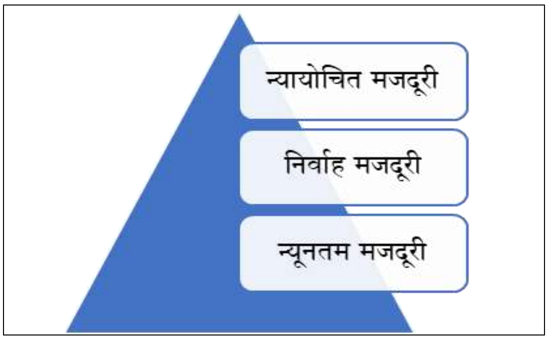

चित्र 1: कामगारों को मिलने वाले पारिश्रमिक के सैद्धांतिक प्रकार

कोसी और सीमांचल क्षेत्र में लोगों की प्रतिदिन की आय पारिश्रमिक सिद्धांत से कम होने के कारण रोजगार बहुत कम उपलब्ध है।

दूसरी तरफ कोसी और सीमांचल क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक है। कोसी क्षेत्र के मधेपुरा जिला का दशकीय वृद्धि दर बिहार में सर्वाधिक है। इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में अधिवास करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग दो करोड़ से अधिक जनसंख्या कोसी और सीमांचल क्षेत्र में है (बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, पृष्ठ संख्या- 375)। इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है लेकिन रोजगार कम संख्या में उपलब्ध है। जनसंख्या आधिक्य के कारण भी इस क्षेत्र से पलायन हो रहा है।

टेबल 2: 2011 की जनगणना के अनुसार कोसी और सीमांचल क्षेत्र के विभिन्न जिलों की जनसंख्या और दशकीय वृद्धि दर

जिला	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) (लाख में)	दशकीय वृद्धि दर (2011 की जनगणना)
कटिहार	30.7	28.23
अररिया	28.1	30.00
किशनगंज	16.9	30.44
पूर्णिया	32.6	28.66
मधेपुरा	20	30.65
सुपौल	22.3	28.62
सहरसा	19.0	25.79
खगड़िया	16.7	30.19

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

शहरीकरण किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी 2.02 करोड़ की है (बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, पृष्ठ संख्या- 404)। बिहार में शहरीकरण की दर 16.2 प्रतिशत है। शहर को किसी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। बिहार में शहरी अर्थव्यवस्था में वृद्धि से ही समग्र अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर है। शहरी केंद्र किसी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी वाहक है।

टेबल 3: वर्ष 2022 में बिहार में शहरीकरण के रुझान

वर्ष	बिहार में शहरी आबादी (करोड़)	बिहार में शहरीकरण का स्तर (प्रतिशत)
2022	2.02	34.9

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण

इस टेबल के आँकड़ों से साबित होता है की बिहार में शहरीकरण की दर बहुत कम है। इसके कारण बिहार के शहरी क्षेत्र में रोजगार देने की बहुत कम

क्षमता है। बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में शहरीकरण की दर बहुत कम है।

कोसी और सीमांचल के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है लेकिन केंद सरकार द्वारा इसके फ़ंड की कटौती के कारण यह कार्यक्रम सफल साबित नहीं हो पा रहा है। बिहार के बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 अप्रैल 2022 से 14 अप्रैल 2023 तक 5 लाख 49 हज़ार 616 जॉब कार्डधारियों के मुक़ाबले केवल 91 हज़ार 593 लोगों को मनरेगा योजना के तहत काम दिया गया है। मनरेगा योजना के तहत मिलने वाला काम भी नियमित नहीं मिलता है। वर्ष के कच्छ्र महीने में काम अधिक मिलता है जबकि अधिकांश महीनों में कोई काम नहीं दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ की बिहार के इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने की सभी सम्भावनाएँ कम है।

टेबल **4 :** वित्तीय वर्ष 2022-23 कोसी और सीमांचल क्षेत्र में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारियों की संख्या और उपलब्ध कार्य

क्षेत्र	मनरेगा जॉब कार्डधारियों की संख्या (वित्तीय वर्ष 2022-23)	मनरेगा के तहत कुल लोगों को मिलने कार्य (वित्तीय वर्ष 2022-23)
कोसी और सीमांचल क्षेत्र	5,49,616	91,593

स्रोत : बिहार बजट 2022-23

पलायन को रोकने में जीविका दीदी का योगदान

जीविका ग्रामीण विकास विभाग में निबंधित संस्था है। बिहार में श्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2007 में जीविका संस्था का गठन किया था। इस संस्था से जुड़ी महिलाएँ जीविका दीदी के नाम से प्रसिद्ध है। यह संस्था और योजना नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की तारीफ विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी किया है। बिहार के ग्रामीण विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना को इसने सकारात्मक तरीके से परिवर्तित कर दिया है।

बिहार में ग्रामीण महिला के सशक्तिकरण में इसका अभूतपूर्व योगदान है। इस योजना के कई लाभ देखे जा सकते है। एक तरफ यह योजना ग्रामीण बिहार में महिलाओं को रोज़गार और आय के स्रोत प्रदान करती है। दूसरी तरफ इस योजना ने महिला को आर्थिक रूप से स्वालंबन बना कर पुरुषों के पलायन को रोकने में भी सहायता प्रदान कर रहा है। जीविका योजना की पहुँच 1.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक है। सितम्बर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ था (बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, पृष्ठ संख्या-376)। इस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंकों द्वारा आर्थिक गतिविधि के किसी कार्य क्षेत्र में कार्य आरम्भ करने के लिए ऋण दिया जाता है। वर्तमान समय में जीविका योजना के कार्य में विविधिकरण आया है। वर्ष 2022 तक अर्थव्यवस्था के विभिन्न कार्य क्षेत्र में जीविका दीदी कार्यरत है। बिहार सरकार ने पशुपालक दीदी, मत्स्यपालक दीदी, कृषक दीदी, दीदी की रसोई, विद्या दीदी के रूप में इनके योगदान को चिन्हित किया है। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में जीविका दीदी को कार्य दिया गया है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खास कर कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में इस योजना से गरीब महिलाओं को रोजगार मिला है।

बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की ग़रीब महिलाओं को आय और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कई सार्थक पहल किया है। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने पशु सखी मॉडल का क्रियान्वयन किया है। पशु सखी मॉडल के तहत जीविका दीदी को

प्रशिक्षित कर के पशु टीकाकरण, दाना निर्माण इत्यादि कार्यों में कार्य दिया गया है। इसी तरह जल जीवन हरियाली के अंतर्गत मछली पालन हस्तक्षेप पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत जीविका दीदी के द्वारा मछलीपालन का काम किया जाएगा। जीविका के तहत दीदी की रसोई समुदाय संचालित कैंटीन मॉडल है। अस्पताल के रोगियों, बैंक के कर्मचारियों, स्कूल विद्यार्थियों आदि को गुणवत्तापूर्ण भोजन देने के मामले में यह उधम के सफल मॉडल के रूप में उभरा है।

मधुमक्खी पालन संबंधी हस्तक्षेप के तहत जीविका दीदी के स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण के माध्यम से कुटीर उधोग के रूप में कार्य प्रारम्भ करने के लिए सहयोग दिया जाता है। इसके तहत शहद प्रसंस्करण के द्वारा जीविका दीदी को रोजगार और आय दोनों मिलता है। इसी तरह जीविका दीदी के उधम का एक और प्रकार ग्रामीण बाजार है जिसके तहत स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा संचालित सदस्य किराना दूकानों को उचित दर पर किराना सामान उपलब्ध कराया जाता है। बिहार के सभी जिलों में ग्रामीण बाजार उपलब्ध कराया गया है। रसोई बाड़ी अवधारणा के तहत छोटे भूखंड पर सालों भर सब्ज़ियाँ और फलों को उपजाना है।

टेबल 5 : जीविका से संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ

क्रम संख्या	जीविका से संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ
1.	पशुपालक दीदी
2.	मत्स्यपालक दीदी
3.	कृषक दीदी
4.	दीदी की रसोई
5.	विद्या दीदी
6.	पशु सखी मॉडल
7.	मधुमक्खी पालन संबंधी हस्तक्षेप
8.	रसोई बाड़ी अवधारणा
9.	ग्रामीण बाजार
10.	दूध उत्पादन संबंधी हस्तक्षेप
11.	दीदी की नर्सरी

स्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

इस तरह से जीविका दीदी ग्रामीण बिहार की अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत है। जीविका के तहत बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र में गरीब महिलाओं को रोज़गार और आय का स्रोत मिला है। ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार मिलने से इस क्षेत्र में पलायन में कमी देखी जा रही है।

निष्कर्ष: कोसी और सीमांचल क्षेत्र से पलायन एक गम्भीर समस्या है। आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक आपदा के कारण इस क्षेत्र से पलायन हो रहा है। इस क्षेत्र की दो करोड़ आबादी में से लगभग हर घर से लोग रोज़गार की तलाश में पलायन करते हैं। इस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोज़गारी, कोसी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आने, चरम ग़रीबी, निम्न शहरीकरण इत्यादि कारणों से लोगों का पलायन होता है। बिहार सरकार ने वर्ष 2005 तक ग्रामीण बिहार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के लिए को सार्थक पहल नहीं किया था। जिसके कारण लोगों का पलायन बढ़ता गया।

वर्ष 2007 में श्री नीतीश कुमार की सरकार ने ग्रामीण बिहार की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वालंबन बनाने के लिए जीविका नामक संस्था के ज़रिए सार्थक पहल किया था। जीविका दीदी के गठन का मुख्य उदेश्य ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार और आय के स्रोत उपलब्ध करवाना था। इस उदेश्य की प्राप्ति में जीविका योजना सफल साबित हो रही है। जीविका दीदी को अर्थव्यवस्था के विभिन्न गतिविधियों में रोज़गार दिया जा रहा है। जिसके कारण उनके आय में वृद्धि हुआ है। साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिल रहा है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मज़बूत होने से लोगों की क्रय शक्ति और बचत में वृद्धि हुई है। इसका सकारात्मक प्रभाव कोसी और सीमांचल क्षेत्र से होने वाले पलायन को कम करने में हुआ है। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वालंबन होने के कारण परिवार की आर्थिक हालात में सुधार हुआ है। साथ ही साथ परिवार के पुरुष जीविका दीदी के कार्य में सहयोग भी देना शुरू किया है। हालाँकि यह सब प्रारम्भिक स्तर पर अभी है। जीविका दीदी के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने से ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होगा। इससे लघु और कुटीर उधोग की स्थापना में सहयोग मिलेगा। ऐसा होने पर स्थानीय स्तर पर ही रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा।

संदर्भ

1. झा, दर्शन कुमार और त्रिपाठी, वी॰के॰ (2015), कोसी बाढ़ आपदा और आपदा प्रबंधन : सुपौल के संदर्भ में, नेशनल जेओग्राफ़िकल जर्नल ऑफ़ इंडिया, वॉल्यूम-59, नम्बर-1, पृष्ठ संख्या-1-43
2. सिन्हा, आर॰ (2008), कोसी: बढ़ता पानी, गतिमान चैनल और मानव आपदा, इकोनोमिक और पोलिटिकल वीक्ली, वॉल्यूम-1, नम्बर-1, पृष्ठ संख्या-1-12
3. सिंह, नीरज के॰ और सिंह, बी॰पी॰ (2013), उत्तर-पूर्वी बिहार में सामाजिक-जनसांखिकिय का अध्ययन, जर्नल ऑफ़ रीसेंट रीसर्च इन साइयन्स औत टेक्नोलोजी, वॉल्यूम-1, नम्बर-1, पृष्ठ संख्या- 1-6
4. बिग्स, स्टीवन और शर्मा, अविराम (2018), कोसी रिवर बेसिन में ग्रामीण परिवर्तन, जर्नल ऑफ़ इकोनोमिक ग्रोथ, वॉल्यूम-1, नम्बर-1, पृष्ठ संख्या-1-16
5. बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन (2022), जीविका मिशन, URL: http://brlps.in/messageviewdetail?viewid=1
6. कुमार, नंदन और भगत, आर॰बी॰ (2012), बिहार से बाह्य प्रवासन : कारण और परिणाम, इंटर्नैशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर पॉप्युलेशन साइयन्स, वॉल्यूम-1, नम्बर-1, पृष्ठ संख्या- 1-19
7. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22), बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन, URL: https://state.bihar.gov.in/finance
8. नीति आयोग रिपोर्ट (2021), नीति आयोग का बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021, URL: https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-11/National_MPI_India-11242021.pdf
9. वित्त विभाग, बिहार सरकार (2023), बजट 2023-24 का संक्षिप्त परिचय, URL : https://state.bihar.gov.in/finance/cache/12/28-Feb-23/
10. उधोग विभाग, बिहार सरकार (2022), खाद्य प्रसंस्करण,URL: http://swc.bihar.gov.in/portal/#!/agriculture
11. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (2023), जीविका दीदियों के प्रयास, URL: http://brlps.in/UplodFiles/Files/JEEViKA_COVID_Initiatives_Magazine.pdf
12. हार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (2022), मधेपुरा मी जीविका के बढ़ते कदम, URL:

http://brlp.in/UplodFiles/Files/Madhepura_District_Booklet.pdf

13. एम॰ सिंह, कृष्णा, सिंह आर॰ और कुमार अंजनी (2013), पुरुष श्रमिकों का पलायन और महिला सशक्तिकरण : बिहार के संदर्भ में, जर्नल ऑफ़ सोशल और पोलिटिकल फ़िलासफ़ी, वॉल्यूम-1, नम्बर-1, पृष्ठ संख्या-1-14
14. दत्ता, ए॰ (2020), चक्रीय प्रवासन : ग्रामीण बिहार के परिप्रेक्ष्य में, द इंडियन जर्नल ऑफ़ लेबर इकोनोमिक्स, वॉल्यूम-1, नम्बर-1, पृष्ठ संख्या-1-16
15. महापात्रो, संध्या आर॰ (2019), बिहार से श्रमिक पलायन का बिहार की महिलाओं पर प्रभाव, द इंडियन जर्नल ऑफ़ लेबर इकोनोमिक्स, वॉल्यूम-1, नम्बर-1, पृष्ठ संख्या-1-11
16. कुमार, उज्जवल और कुमार, रमण रोहन (2020), कोविड-19 के कारण बिहार के श्रमिकों का पलायन, जर्नल ऑफ़ कम्यूनिटी मोबिलाईजेसन एंड सस्टेनेबल डेवेलपमेंट, वॉल्यूम-1, नम्बर-1, पृष्ठ संख्या- 1-11